न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 06 / 2022 अपील (राजस्व)

GCMS No. 2022/7

वेणीराम पिता श्री माणा भील निवासीः बडियार, तहसील–मावली, उदयपुर

-- अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

-- रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
विरूद्ध निर्णय तहसलीदार मावली दिनांक 15.07.2021
प्रकरण संख्या 01 / 2021

उपस्थित : श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

निर्णय

दिनांकः– 18/08/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार मावली के प्रकरण संख्या 01 / 2021 आदेश दिनांक 15.07.2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बडियार तहसील मावली में आराजी संख्या 232 स्थित है उक्त भूमि पर अपीलाण्ट एवं भूरा पिता माना भील एवं दूदा पिता माना भील विगत कई वर्षो से यानि अपने पूर्वजों के समय से काबिज हो भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, अपीलाण्ट के परिवार में करीब 50 से अधिक सदस्य है तथा मौके पर उक्त भूमि पर अपीलाण्ट के पूर्वजों के समय से ही अलग अलग कच्चे मकान बने हुए है तथा मवेशियों को बांधने के लिए अलग–अलग टापे बनी हुई है। घास तथा फसले रखने के लिए कच्चे घर बना रखे है तथा जलाऊ लकड़ी व घरेलू सामान रखने के लिए बाडे बने हुए है जिन पर हमारे पूर्वज एवं उसके बाद अपीलाण्ट परिवारजन पीढी दर पीढी काबिज होकर शांतिपूर्वक निवास करते चले आ रहे है तथा उक्त आराजी के

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 06/22 राजस्व
वेणीराम बनाम सरकार
GCMS No. 2022/7

कुछ भू–भाग में अपीलाण्ट के रहने के लिए कच्चे केलूपोश मकान भी बने हुए है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी एवं अधिकारियों ने गांव के भूमि दलालों से मिलीभगत कर अपीलाण्ट को बेदखल करने की नियत से अपीलाण्ट को कोई नोटिस दिये, बिना सुने उक्त आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय नियम व विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से काबिल निरस्त है। अपीलाण्ट गरीब परिवार के सदस्य होकर अनुसूचित जनजाति कें लोग है तथा अपीलाधीन आराजी की भूमि पर अपीलाण्ट अपने पूर्वजो के समय से निवास करते चले आ रहे है तथा इसके अलावा उक्त भूमि पर गांव के अन्य लोग भी काबिज होकर उपयोग. उपभोग करते चले आ रहे है लेकिन राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों व हल्का पटवारी ने गांव के ही फतहसिंह राजपूत एवं आपराधिक व्यक्तियों के सहयोग से अपीलाण्ट को अपीलाधीन आराजी की भूमि से अपीलाण्ट के कब्जे व उपयोग उपभोग से बेदखल करने की नियत से हल्का पटवारी से मौके की वास्तविक स्थिति से विपरीत जाकर अपीलाण्ट को सुने बिना, कोई नोटिस दिये बिना, बिना सुनवाई किये अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही के नोटिस अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाफिक तरीके से अपीलाण्ट को मौके पर बने हुए कच्चे केलूपोश मकान बाड़े आदि को जे.सी.बी. मशीन लगाकर तोड़ दिये गये। अपीलाण्ट व उनके भाई भूरा जी व दूदा जी भील अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तथा उक्त आराजी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों ने भी कब्जे कर रखे है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों के विपरित जाकर केवल अपीलाण्ट के कब्जे वाले कच्चे मकानात, बाडे आदि तोड दिये तथा अपीलाण्ट के विरूद्ध कथित निर्णय, मौके की वास्तविक एवं भौतिक स्थिति के विपरित जाकर पारित किया गया है जबकि अपीलाण्ट को अपने स्वयं का तथा परिवार के रहने के लिए अन्य कोई मकानात नहीं है न ही अपने मवेशियों को बांधने के लिए अन्य कोई बाडा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गांव के व्यक्ति ओम प्रकाश जाट, कैलाश गायरी, सुरेश गुर्जर, तरूण गुर्जर, नरेश गायरी आदि के दबाव में आकर कथित निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को कथित निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को विधिवत तरीके से उनके निवास के लिए व्यवस्था करते या उक्त भूमि को उनके नाम पर आवंटित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करते लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने तमाम तथ्यों पर बिना कोई मनन किये विधि, न्याय व मानवता के विपरित जाकर कथित निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट कोर्ट कचहरी से संबंधित ज्यादा जानकारी नहीं रखते है तथा

जिला कलक्टर
उदयपुर

अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त निर्णय अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के कथित निर्णय को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलाण्ट को उक्त भूमि के नाम पर आवंटित करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलबी की गई। पैरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व गांव बडियार तहसील मावली के आराजी संख्या 232 पर अपीलाण्ट एवं उसके भाई भूरा पिता माना व दूदा पिता माना भील विगत कंई वर्षो से कच्चे केलूपोश मकान बनाकर निवासरत है। तथा अपने मवेशियों को बाधने के लिए तथा घास व फसले रखने के बाडा बना रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुने, बिना कोई नोटिस दिये मनमाफिक तरीके से अपीलाण्ट की अनुपस्थित में दिनांक 15.07.2021 बेदखली के आदेश पारित किये गये है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के कथित निर्णय को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलाण्ट को उक्त भूमि के नाम पर आवंटित करने का आदेश फरमाया जावें।

उपस्थित अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपीलार्थी के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि भूरा, दूदा पिता भाणा भील द्वारा राजस्व ग्राम बडियार, तहसील मावली, उदयपुर के आराजी संख्या 232 चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। चारागाह भूमि पर किया गया अतिक्रमण नियमन की श्रेणी में नहीं आता है। भूमि पर प्रार्थी का कब्जा अनाधिकृत होने से प्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर भूमि से बेदखल किया जाना उंचित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह न्यायोचित हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अपीलार्थी वेणीराम एवं उसके भाई भूरा व दूदा को भूमि से बेदखल किया गया है। तहसीलदार मावली द्वारा पारित आदेश भूरा व दूदा के विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो की अपीलार्थी तहसीलदार मावली के उक्त आदेश से प्रत्यक्ष रूप से

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 06/22 राजस्व
वेणीराम बनाम सरकार
GCMS No. 2022/7

प्रभावित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूरा व दूदा को अतिक्रमी घोषित किया जाकर चारागाह भूमि से दिनांक 15.07.2021 को बेदखली के आदेश पारित किये गये है साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि वह नियमन की पात्रता रखता है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई जाती है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होनें से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार मावली को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर